

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई0

संख्या 117/VIII-1/23-147(श्रम)/2001-राज्यपाल, उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2018) की धारा 17 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का 01) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 1626/औ0वि0/2001-126(श्रम)/2001, दिनांक 23.07.2001 एवं अधिसूचना संख्या 1137/VIII/18-147 (श्रम)/2001, दिनांक 24 अगस्त, 2018 को विखण्डित करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकारियों को अनुसूची के स्तम्भ-3 में उनके सामने उल्लिखित क्षेत्रों के लिए "मुख्य सुकारक और सुकारक" (Chief Facilitator and Facilitator) नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	उप श्रम आयुक्त, देहरादून।	जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी।
2	उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार।	जनपद हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल।
3	उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी।	जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
4	उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर।	जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़।
5	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद नैनीताल।
6	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद ऊधमसिंह नगर।
7	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी।
8	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद हरिद्वार।
9	सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा।	जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
10	सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़।	जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत।
11	सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश।	जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश।
12	सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार।	जनपद पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एवं चमोली।
13	जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल एवं हरिद्वार के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी।	अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।
14	जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं ऊधमसिंह नगर के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी।	—तदैव—

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

(2)

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 117/VIII-1/23-147-Labour/2001, Dated- May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May 18, 2023

No.117/VIII-1/23-147-Labour/2001—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 17 of the Uttarakhand Shops and Establishments (Employment Regulation and Service Conditions) Act, 2017 (Act No. 03, Year 2018) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (01 of 1904), the Governor by superseding the earlier notification number: 1626/O.V./2001-126(Labour)/2001, dated: 23-07-2001 and notification number: 1137/VIII/18-147(Labour)/2001, Dated: 24th August, 2018, pleased to appoint the Officers mentioned in column-2 of the Schedule below as "Chief Facilitators and Facilitators" for the areas mentioned against them in column-3 of the Schedule below:-

Schedule

S.No.	Designation of the Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	Deputy Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun, Tehri Garhwal and Uttarkashi
2	Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar, Chamoli, Rudraprayag and Pauri Garhwal
3	Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital, Almora and Bageshwar
4	Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar, Champawat and Pithoragarh
5	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital
6	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar
7	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun and Uttarkashi
8	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar
9	Assistant Labour Commissioner, Almora	District Almora and Bageshwar
10	Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh	District Pithoragarh and Champawat
11	Assistant Labour Commissioner, Rishikesh	District Tehri Garhwal and Tehsil Rishikesh
12	Assistant Labour Commissioner, Kotdwara	District Pauri Garhwal, Rudraprayag and Chamoli
13	Labour enforcement officers posted as departmental offices in districts Dehradun, Uttarkashi, Tehri Garhwal, Chamoli, Rudraprayag, Pauri Garhwal and Haridwar.	Under their respective jurisdiction.
14	Labour enforcement officers posted as departmental offices in Nainital, Pithoragarh, Champawat, Almora, Bageshwar and Udham Singh Nagar districts.	As Above

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,

Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 24-06-2023, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 18 श्रम/297-31-07-2023-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।